

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र / सरफेसी / 09 / 2025

आई.सी.आई. बैंक लि० बैंक, तृतीय तल, एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर जयपुर  
राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी

....प्रार्थी / प्रतिभूति लेनदार

बनाम

1- अनिल कुमार (ऋणी)

पता 1- R/O A-7 नुमाइश रोड, सुभाष नगर भरतपुर 321001

पता 2- प्लाट नंबर - 11 खसरा नंबर. 3305, 3306 एंड 3307, सुभाष नगर फेज  
न 3 भरतपुर

पता 3-सरकारी सेकेडरी स्कूल, हथिनी, भरतपुर

.....अप्रार्थी / ऋणी

2- रुबी बंसल (सह-ऋणी)

पता 1- R/O A-7 नुमाइश रोड, सुभाष नगर भरतपुर 321001

पता 2- प्लाट नंबर - 11 खसरा नंबर. 3305, 3306 एंड 3307, सुभाष नगर फेज  
न 3 भरतपुर

.....अप्रार्थी.गारन्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड  
रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट  
ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित  
किया गया है बंधक सम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश

दिनांक 28.02.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी० अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय  
अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002  
के तहत विरुद्ध अप्रार्थी० ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर  
निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी० ने दिनांक 5.6.2017 को जरिए ऋण खाता  
LBBRT 00003449451 में ऋण राशि 420000 /- (चार लाख बीस हजार रुपये) रुपये  
तथा ऋण खाता LBBRT 00003449455 में ऋण राशि 560000 /- (पांच लाख साठ  
हजार रुपये) की ऋण सुविधा दिनांक 20.4.2017 को ली थी, तथा ऋण खाता  
संख्या ऋण खाता LBBRT 00006653331 में ऋण राशि 915000 /- (नौ लाख पंद्रह  
हजार रुपये) ऋण सुविधा दिनांक 20.4.2017 को ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा  
के ऐवज में अप्रार्थी० ने अपनी प्लाट नं. 11 खसरा नंबर-3305, 3306 एवं 3307  
.....2

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

(2)

प्रा.पत्र / सरफेसी / 09 / 2025  
आई.सी.आई. बैंक लि० बैंक बनाम अनिल कुमार वगे.

सुभाष नगर, फेज नं. 3 भरतपुर राज० क्षेत्रफल एरिया 78.531 वर्ग गज जिसकी चतुर्थ समाएं पूर्व में- हैप्पी बिल्डिंग, पश्चिम में- 30 फीट चौड़ी रोड, उत्तर में- 20 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण में -प्लॉट नंबर-12 स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी० के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी / ऋणी के खाता को दिनांक 5-6-2024 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 30.8.2024 तक कुल बकाया राशि 1509642/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी० पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी० ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 30-08-2024 अप्रार्थी० को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी० द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 30.8.24 अप्रार्थी० को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया / ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी० द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के


.....3

जिला कलक्टर  
भरतपुर

(3)

प्रा.पत्र / सरफेसी / 09 / 2025  
आई.सी.आई. बैंक लि० बैंक बनाम अनिल कुमार वगो.

ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं. 11 खसरा नंबर-3305, 3306 एवं 3307 सुभाष नगर, फेज नं. 3 भरतपुर राज० क्षेत्रफल एरिया 78.531 वर्ग गज जिसकी चतुर्थ समाएं पूर्व में- हैप्पी बिल्डिंग, पश्चिम में- 30 फीट चौड़ी रोड, उत्तर में- 20 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण में -प्लॉट नंबर-12 स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

  
( डॉ० अमित यादव )  
जिला कलक्टर  
भरतपुर